

अध्याय 1
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत
ई-वे बिल प्रणाली पर
विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय 1

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

1. वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली

1.1 प्रस्तावना

वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था, जिसमें 'एक राष्ट्र एक कर' के प्रतिमान के आधार पर अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था का उद्देश्य प्रक्रिया से संबंधित समय विलंब को कम करके वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही कार्यकुशलता में सुधार करना था।

राजस्व की सुरक्षा के लिए, जो सरकार का प्रमुख उद्देश्य है, ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के सभी सामानों की अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल (ई.डब्ल्यू.बी.) आरंभ किया गया था। अंतरराज्य आवाजाही के लिए, हरियाणा राज्य के लिए ₹ 50,000 की सीमा के साथ ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया था। ई-वे बिल माल की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है और इसे माल की आवाजाही से पहले उसका विवरण प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। ई-वे बिल को गैर-वाणिज्यिक बाधाओं को कम करने के लिए भी डिजाइन किया गया था, ताकि पारगमन समय कम हो और आपूर्ति श्रृंखला कार्यकुशलता में भी सुधार हो।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम (एच.जी.एस.टी. नियम), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ई-वे बिल तंत्र का प्रावधान है। माल की आवाजाही और ई-वे बिल तैयार करने से पहले माल की जानकारी प्रस्तुत की जानी थी। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के माल का संचलन करता है, चाहे वह संचलन आपूर्ति के संबंध में हो या आपूर्ति से भिन्न कारणों से हो या किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण हो, तो उसे ऐसा संचलन आरंभ करने से पहले उक्त माल से संबंधित सूचना कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी, साथ ही कॉमन पोर्टल पर अपेक्षित अन्य सूचना भी प्रस्तुत करनी होगी और पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी।

1.2 प्रणाली संरचना

ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियों और प्रक्रिया प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

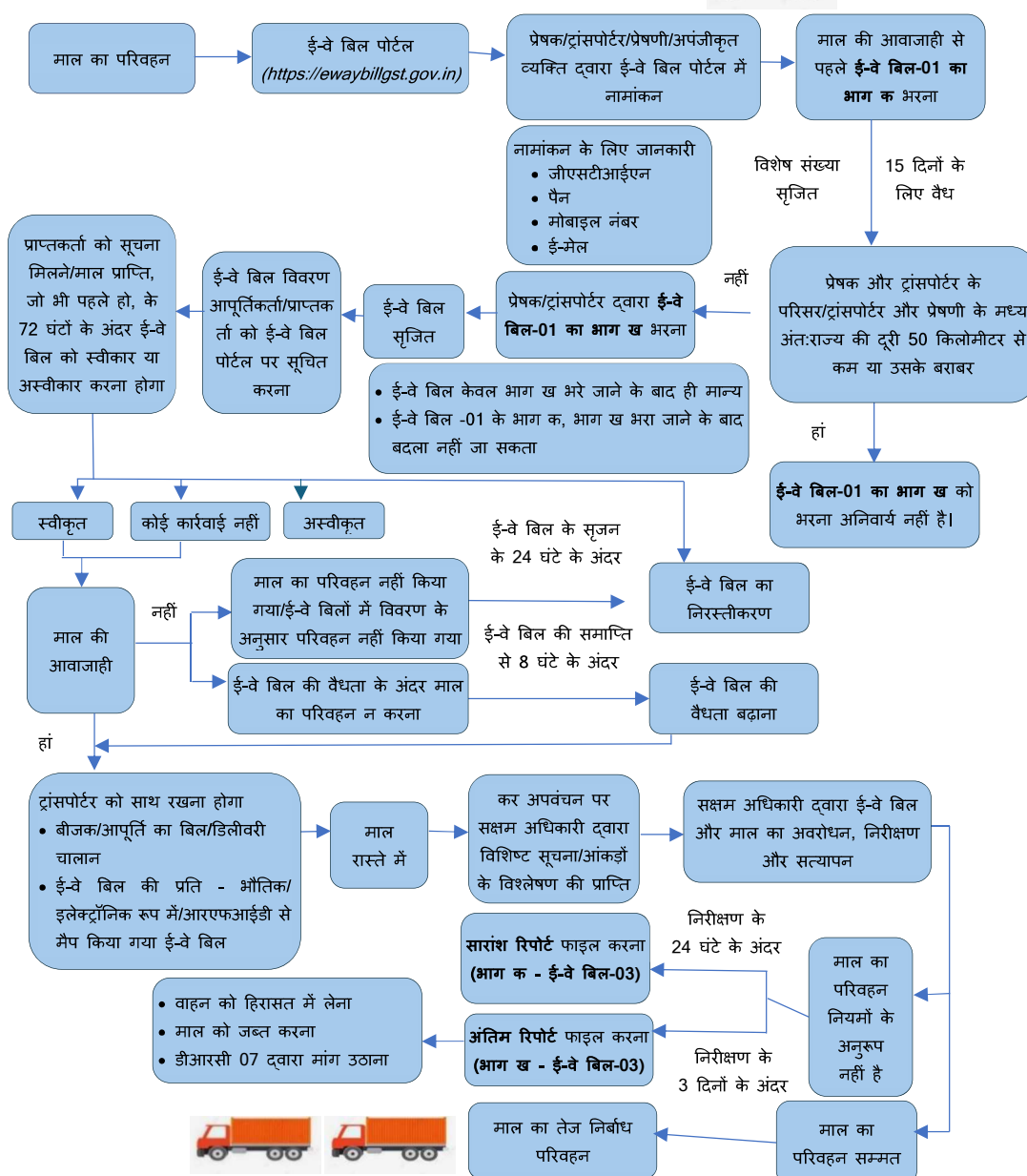
(i) ई-वे बिलों के लिए प्रयुक्त सूचना प्रणालियां

ई-वे बिल कॉमन पोर्टल का प्रबंधन कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) द्वारा किया जाता है। फरवरी 2020 में, ई-वे बिल पोर्टल को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वाहन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है, ताकि ई-वे बिल बनाते समय वाहन पंजीकरण संख्या को मान्य किया जा सके। फास्टैग प्रणाली को 1 जनवरी 2021 से ई-वे बिल प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर, ई-वे बिल बनाने, विस्तार करने, निरस्त करने और अस्वीकृत करने के उद्देश्य से करदाताओं का एक बार पंजीकरण अपेक्षित था।

सक्षम अधिकारी (केंद्र और राज्य दोनों) दो तरीकों से ई-वे बिल पोर्टल तक पहुंच सकते थे:-

(i) दिए गए लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ई-वे बिल कॉमन

ई-वे बिल प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएं जैसे पोर्टल में अपेक्षित व्यक्तियों का नामांकन करना, ई-वे बिल तैयार करना, विस्तारित करना, जारी किए गए ई-वे बिलों को निरस्त करना और अस्वीकृत करना आदि सम्मिलित हैं। वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली के संपूर्ण प्रक्रिया प्रवाह को नीचे दर्शाया गया है:



1.3 संगठनात्मक संरचना

आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), राज्य कर विभाग के प्रमुख हैं, जिन्हें मुख्यालय में एक अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्त (प्रवर्तन) सहित चार अपर आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग दिया जाता है। जिला स्तर पर सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ए.ई.टी.ओ.) प्रवर्तन इकाइयों का नेतृत्व करते हैं तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (डी.ई.टी.सी.) की देखरेख में आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओ.) वार्डों के प्रभारी होते हैं।

ई-वे बिल (आपूर्ति के लिए प्रभावी) को सामान्य और संयोजन करदाताओं द्वारा क्रमशः रिटर्न वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4/वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-इनवॉइस (सी.एम.पी.)-08 के अंतर्गत दर्ज किया जाता था और रिटर्न की संवीक्षा के समय जिला स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा इनका सत्यापन किया जाना अपेक्षित था। प्रत्येक जिले में, समर्पित प्रवर्तन संरचनाएं हैं जो ई-वे बिलों के सत्यापन सहित व्यापक अपवंचन-रोधी कर्तव्यों को निष्पादित करती हैं।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या:

1. सरकार के राजस्व हित की रक्षा के लिए ई-वे बिल तंत्र प्रभावी था; और
2. ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी थी।

1.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पद्धति

इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है क्योंकि वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत निर्धारित सीमा के दायरे में आने वाले माल की किसी भी आवाजाही से पहले ई-वे बिल तैयार करना एक आवश्यक स्थिति है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूनों का चयन प्रमुख समस्या क्षेत्रों (के.पी.ए.)/जोखिम आयामों के आधार पर किया गया। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति को बाधित करने वाले मुख्य समस्या क्षेत्र **परिशिष्ट-1.1** में दिए गए थे।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रवर्तन गतिविधियों, जैसे परिचालन संबंधी तैयारी, अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभाग के अंतः/अंतर विभागीय समन्वय (इंट्रा/इंटर डिपार्टमेंट कॉडिनेशन), से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूनाकरण: लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए 80 ई-वे बिलों का एक नमूना (**परिशिष्ट-1.2**) विभिन्न मुख्य समस्या क्षेत्रों के लिए भारांक के आबंटन से संबंधित जोखिम प्रणाली के अनुसार चुना गया था।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए नमूनाकरण: 27 प्रवर्तन इकाइयों में से अर्थात् प्रत्येक राजस्व जिले में एक, 14 (27 प्रवर्तन इकाइयों का 50 प्रतिशत) प्रवर्तन इकाइयों का चयन 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि को शामिल करते हुए स्तरीकृत नमूनाकरण के माध्यम से किया गया था। प्रत्येक चयनित प्रवर्तन इकाई में, प्रति प्रवर्तन इकाई 10 मामलों को नमूना जांच के लिए चुना गया था जहां वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-03¹ (भाग बी) जारी किए गए थे और

¹ सत्यापन रिपोर्ट।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) के मामले में, इसे दोगुना करके 20 मामले प्रति प्रवर्तन इकाई कर दिया गया था और तदनुसार 14 प्रवर्तन इकाइयों² से 176 मामलों का चयन किया गया था। यह देखा गया कि यद्यपि मेवात प्रवर्तन इकाई द्वारा प्रवर्तन गतिविधियां की गई थी, किंतु ऐसे प्रवर्तन से संबंधित दस्तावेज और विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए थे।

विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा अप्रैल और नवंबर 2023 के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में ई-वे बिल प्रणाली के समग्र निष्पादन की जांच, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क से निकाले गए ई-वे बिल डेटा का विश्लेषण, केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है। रेलवे/वायुमार्ग/समुद्री मार्ग ई-वे बिल को इस लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है। लेखापरीक्षा के दायरे में ई-वे बिल के संदर्भ में विभाग के प्रवर्तन कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल था, जैसे वाहनों को रोकना, दस्तावेजों का सत्यापन, माल का निरीक्षण और उस पर की गई कार्रवाई।

आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 24 अप्रैल 2023 को एंटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों और लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली के दायरे पर चर्चा की गई थी। प्रधान सचिव, आबकारी एवं कराधान विभाग, हरियाणा सरकार के साथ 20 नवंबर 2024 को एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। विभाग द्वारा 20 नवंबर 2024 को और 17 जनवरी 2025 को मसौदा रिपोर्ट पर उत्तर प्रस्तुत किए गए। उत्तरों को संबंधित अनुच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गए थे:

- हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धाराएं 10, 17, 25, 29, 37, 39, 44, 68, 73, 74, 129, 130, आदि;
- हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 59, 60, 61, 62, 80, 138 आदि;
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, राज्य कर विभाग (एस.टी.डी.) द्वारा जारी परामर्श/मानक संचालन प्रक्रियाएं; तथा
- वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अधिकृत और राज्य कर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं/परिपत्र/निर्देश।

1.7 ई-वे बिल डेटा की प्रवृत्तियां और अंतर्दृष्टि

राज्य में लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सृजित ई-वे बिलों की संख्या की प्रवृत्तियां **तालिका 1.1** में दर्शाई गई है तथा विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की संख्या **तालिका 1.2** में दर्शाई गई है, जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिया गया है:

² अंबाला: 10; फरीदाबाद (उत्तर): 20; फरीदाबाद (दक्षिण): 20; फरीदाबाद (पूर्व): 18; फरीदाबाद (पश्चिम): 20; फतेहाबाद: 9; गुरुग्राम (पश्चिम): 20; हिसार: 10; जगाधरी: 10; झज्जर: 10; पलवल: 9; पानीपत: 10; पंचकुला: 10 और मेवात: शून्य।

1.7.1 सृजित ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान सृजित ई-वे बिलों का डेटा निम्नानुसार है:

तालिका 1.1: जावक और आवक आपूर्ति के लिए सृजित ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	जावक आपूर्ति		आवक आपूर्ति	
	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	1,15,224	2,72,51,697	21,415	5,47,054
2019-20	1,19,244	3,13,57,397	18,544	4,63,774
2020-21	1,14,221	3,24,68,265	16,351	2,86,037
2021-22	1,14,302	3,85,96,097	16,441	2,34,257

स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर संख्या डेटा

पिछले कुछ वर्षों में सृजित कुल ई-वे बिलों की संख्या में समग्र रूप से वृद्धि देखी गई है और 2018-19 से 2021-22 तक यह वृद्धि 42 प्रतिशत रही। हालांकि, आवक आपूर्ति के लिए सृजित कुल ई-वे बिलों की संख्या में 2018-19 से 2021-22 तक 57 प्रतिशत की कमी देखी गई।

1.7.2 विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों की प्रवृत्ति

विस्तारित ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों की वैधता बढ़ा दी गई थी); निरस्त किए गए ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों को सृजन के बाद निरस्त कर दिया गया था); और अस्वीकृत ई-वे बिलों (जहां ई-वे बिलों को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था) का डेटा निम्नानुसार है:

तालिका 1.2: विस्तारित, निरस्त और अस्वीकृत ई-वे बिलों का विवरण

वर्ष	विस्तारित ई-वे बिल		निरस्त ई-वे बिल		अस्वीकृत ई-वे बिल	
	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या	यूनीक जीएसटीआईएन की संख्या	ई-वे बिलों की संख्या
2018-19	8,782	1,63,330	46,624	5,08,270	3,309	6,952
2019-20	14,701	3,30,879	47,687	4,82,802	2,638	4,446
2020-21	20,641	3,33,823	45,403	4,32,286	1,859	2,903
2021-22	28,199	4,72,204	46,998	4,29,814	1,323	2,112

स्रोत: वस्तु एवं सेवा कर संख्या डेटा

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2021-22 तक विस्तारित किए जा रहे ई-वे बिलों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। ई-वे बिलों के निरस्त होने की प्रवृत्ति घट रही है और 2018-19 से 2021-22 के दौरान इसमें 15 प्रतिशत की कमी आई है। ई-वे बिलों के अस्वीकृत होने की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, जिनकी संख्या 6,952 और 2,112 के मध्य रही, जो 70 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है।

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

1.8 दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 16 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिदेश को निर्धारित करती है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें)

अधिनियम 1971 की धारा 18 (2) कार्यालयों/विभाग को यह वैधानिक दायित्व प्रदान करती है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और उचित अभियान से अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा के दौरान विभाग से वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए ई-वे बिलों और वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न से संबंधित जानकारी और अभिलेख मांगे गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए चयनित करदाताओं के अतिरिक्त अभिलेख जैसे जावक आपूर्ति का विवरण, महीनेवार आवक, जावक ई-वे बिल, लेखा-बहियां, रिफंड के विवरण, ट्रक रसीदें/लॉरी रसीद आदि भी मांगे गए। लेखापरीक्षा ने विभाग से ई-वे बिल पोर्टल पर एक्सेस के लिए यूजर आईडी जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए अनुरोध अस्वीकृत कर दिया (नवंबर 2023) कि हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम में आबकारी एवं कराधान विभाग के सक्षम अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों को ई-वे बिल पोर्टल पर पहुंच का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, लेखापरीक्षा विभाग को यूजर आईडी और पासवर्ड प्रदान नहीं किया गया।

विशिष्ट अभिलेख प्रस्तुत न करने वाले करदाताओं की सूची **परिशिष्ट-1.3** में दी गई है। अभिलेख प्रस्तुत न करने का क्षेत्राधिकार-वार संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित **तालिका 1.3** में दिया गया है।

तालिका 1.3: विशिष्ट अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार जोन	नमूना (करदाताओं की संख्या)	विशिष्ट अभिलेखों को प्रस्तुत न करना (करदाताओं की संख्या)
1	फरीदाबाद (पश्चिम)	5	5
2	गुरुग्राम (उत्तर)	3	3
3	गुरुग्राम (दक्षिण)	5	5
4	पानीपत	6	4
5	सोनीपत	13	11
कुल		32	28

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में उत्तर दिया कि 11 करदाताओं के संबंध में दस्तावेज बीओवेब पोर्टल पर उपलब्ध थे और लेखापरीक्षा द्वारा आवश्यकता होने पर प्रस्तुत किए जाएंगे। विभाग ने आगे बताया कि उन्होंने 13 करदाताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस/मांग और वसूली प्रमाण-पत्र-01/07 जारी किए थे और चार करदाताओं के संबंध में यह बताया गया था कि तकनीकी खराबी के कारण दस्तावेज पुनः प्राप्त नहीं किए जा सके।

1.9 सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता

तथ्यात्मक लेखापरीक्षा के परिणाम निम्नलिखित अनुच्छेद 1.9.1 से 1.9.10 में दिए गए हैं।

1.9.1 कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत निरंतर बने रहने वाले अपात्र करदाता

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (1) के अंतर्गत, एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा³ से अधिक नहीं था, वह कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (3) के अंतर्गत, किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कंपोजिशन

³ अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 तक की अवधि के लिए ₹ एक करोड़ तथा उसके बाद ₹ 1.5 करोड़।

लेवी स्कीम के लिए लिया गया विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा, जिस दिन किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 (2) (सी) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति माल की किसी भी अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति में शामिल है तो वह कंपोजिशन लेवी स्कीम का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि दो⁴ करदाता माल की अंतरराज्यीय जावक आपूर्ति करने के पश्चात कंपोजिशन लेवी योजना के अंतर्गत बने हुए थे। इन करदाताओं को इस योजना से बाहर किया जाना अपेक्षित था क्योंकि वे प्रथम दृष्टया अंतरराज्यीय आपूर्ति करने की तिथि से सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), आबकारी एवं कराधान अधिकारी (पानीपत) ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि करदाता को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है; तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त सोनीपत से संबंधित शेष मामले का उत्तर प्रतीक्षित था।

1.9.2 शून्य रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा फाइल की गई विभिन्न रिटर्न की सत्यता की पुष्टि करने के लिए संबंधित अधिकारी (आबकारी एवं कराधान अधिकारी) द्वारा जांच की जानी चाहिए, तथा रिटर्न में दर्शाई गई किसी भी विसंगति या असंगतता पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

पांच⁵ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 32 करदाताओं से संबंधित 80 ई-वे बिलों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 10 करदाताओं ने 16 ई-वे बिलों (परिशिष्ट-1.4) के माध्यम से ₹ 1.99 करोड़ की जावक आपूर्ति की थी। इन 10 करदाताओं में से, आठ करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में कोई लेनदेन नहीं दर्शाया था, लेकिन 13 ई-वे बिल सृजित किए थे। शेष दो करदाताओं ने जिन्होंने तीन ई-वे बिल सृजित किए थे वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर दिया, लेकिन वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी फाइल नहीं किया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने बताया (दिसंबर 2024) कि यह अनुच्छेद प्रणालीगत सुधार से संबंधित है और इस मामले की जानकारी देते हुए वस्तु एवं सेवा कर नीति शाखा को एक पत्र भेजा गया था। सरकारी खजाने को होने वाली हानि से रोकने के लिए ऐसे करदाताओं का पंजीकरण स्वचालित रूप से निरस्त/निलंबित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। विभाग ने यह भी बताया कि संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त को ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

1.9.3 वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत, संबंधित अधिकारी करदाता का पंजीकरण निरस्त कर सकता है, जब कंपोजिशन करदाता ने निरंतर तीन कर अवधियों की

⁴ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत और सोनीपत।

⁵ पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

रिटर्न प्रस्तुत न की हो; या किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति ने निरंतर छः महीने की अवधि तक अपनी रिटर्न प्रस्तुत न की हो।

उक्त अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत, जहां कोई पंजीकृत व्यक्ति नोटिस के बाद भी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार, उपलब्ध या व्यक्ति द्वारा एकत्रित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है तथा कर-निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है; किन्तु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे करयोग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 30(1) के अंतर्गत कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, निरस्तीकरण आदेश की तिथि से तीस दिन के अंदर निर्धारित तरीके से पंजीकरण के निरस्तीकरण को निरस्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 ई के अंतर्गत, प्रेषक, प्रेषणी, ट्रांसपोर्टर या ई-कॉमर्स ऑपरेटर या कूरियर एजेंसी सहित व्यक्तियों पर ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ई-वे बिल जनरेट करने पर प्रतिबंध लगाता है, जिसने निर्धारित निरंतर अवधियों⁶ के लिए संबंधित वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल नहीं की है। दिसंबर 2019 से ई-वे बिल कॉमन पोर्टल पर ब्लॉकिंग कार्यक्षमता सक्षम की गई है।

(i) लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि चार⁷ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत पांच सामान्य करदाताओं (**परिशिष्ट-1.5**) ने निरंतर दो कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल नहीं की थी, लेकिन 36 ई-वे बिल सृजित करके जावक आपूर्ति को निष्पादित किया था।

इसने इंगित किया कि दो एजेंसियों, अर्थात् ई-वे बिल कॉमन पोर्टल और वस्तु एवं सेवा कर कॉमन पोर्टल, के बीच, इन करदाताओं के लिए ई-वे बिल जनरेशन सुविधाओं को अवरुद्ध करने के लिए ई-वे बिल कॉमन पोर्टल में प्रभावी सत्यापन नियंत्रण के लिए समन्वय पर्याप्त नहीं था।

(ii) इसके अतिरिक्त, उन पांच करदाताओं के संबंध में यह देखा गया कि हालांकि निर्दिष्ट अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, विभाग ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत निर्दिष्ट कर देयता का निर्धारण करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एक्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि रिटर्न फाइल न करने वाले करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करने पर ई-वे बिल पोर्टल पर कोई रोक नहीं थी। विभाग ने आगे बताया कि

⁶ हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्तियों के संबंध में दो लगातार तिमाहियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-चालान-08 और सामान्य करदाताओं के लिए दो लगातार कर अवधि के लिए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी, जैसा भी लागू हो।

⁷ सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

ई-वे बिल पोर्टल में उपयुक्त परिवर्तन शामिल करने का प्रस्ताव किया है ताकि ऐसे करदाता जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, वे ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे करदाताओं, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, लेकिन ई-वे बिल जनरेट कर रहे थे, का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया और ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ए.टी.आर.) प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने दिसंबर 2024 में बताया कि गुरुग्राम (उत्तर) के एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

1.9.4 पंजीकरण निरस्त किए गए डीलरों द्वारा ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत, जहां कोई करयोग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है; परन्तु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे करयोग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकता है। पंजीकरण निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वह रिटर्न फाइल किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित कर देगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, पांच⁸ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले आठ करदाताओं से संबंधित 41 ई-वे बिलों (परिशिष्ट-1.6) की नमूना-जांच की गई, जिनमें ₹ 13.49 करोड़ का निर्धारणीय मूल्य शामिल था और यह पाया गया कि ये ई-वे बिल वस्तु एवं सेवा कर पंजीकरण निरस्त होने की प्रभावी तिथि के बाद जनरेट किए गए थे। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सात करदाताओं से संबंधित 37 ई-वे बिलों की कोई रिटर्न फाइल नहीं की गई थी तथा चार ई-वे बिलों, जिनमें ₹ 35.96 लाख की जावक आपूर्ति की गई थी, से संबंधित दो करदाताओं (जिनमें से एक ने कोई रिटर्न फाइल नहीं की थी) ने अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत कर देयता का निर्धारण नहीं किया और इस प्रकार सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में विफल रहा।

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि निरस्त करदाता पोर्टल पर ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है तथा गुरुग्राम (दक्षिण) और (उत्तर) के तीन करदाताओं को सम्मन जारी किए गए थे।

यद्यपि लेखापरीक्षा यह स्वीकार करती है कि पंजीकरण निरस्त होने के बाद करदाता ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकता है और निरस्तीकरण पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित हुआ है, विभाग के उत्तर में इस तथ्य का समाधान नहीं किया गया है कि संबंधित अधिकारी को पंजीकरण निरस्त करते समय करदाता की वस्तु एवं सेवा कर देयता का निर्धारण करना चाहिए था।

सिफारिश 1: विभाग पंजीकरण को पूर्वव्यापी रूप से निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिलों को संज्ञान में ले और जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने पर विचार करे।

⁸ पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

1.9.5 समान/मिलता-जुलता इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल सृजित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 46 (बी) के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा कर इनवॉइस जारी किया जाएगा जिसमें क्रमिक क्रम संख्या होगी, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगी, तथा जो एक वित्तीय वर्ष के लिए अद्वितीय होगी।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5-1 के अनुसार, ई-वे बिल जनरेट करते समय करदाता को माल से संबंधित दस्तावेज संख्या दर्ज करना अपेक्षित है। दर्ज की गई दस्तावेज संख्या अद्वितीय होनी चाहिए। आपूर्ति से संबंधित प्रेषण के संबंध में इनवॉइस नंबर ही दस्तावेज संख्या होती है। इसलिए, प्रत्येक इनवॉइस के आधार पर केवल एक ई-वे बिल जनरेट करना अपेक्षित है।

नमूना मामलों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि चार करदाताओं (*परिशिष्ट-1.7*) ने एक ही इनवॉइस के आधार पर अनेक ई-वे बिल जनरेट किए थे। लेखापरीक्षा ने संबंधित रिटर्न की आगे जांच की और पाया कि पानीपत और सोनीपत के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों से संबंधित इन करदाताओं ने माल की आवाजाही के लिए अनेक ई-वे बिल जनरेट करने के लिए या तो समान इनवॉइस या मिलता-जुलता इनवॉइस (पहले से उपयोग किए गए इनवॉइस नंबरों के अंत में विशेष वर्ण जोड़कर) का उपयोग किया था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि यह एक प्रणालीगत कमी थी और विभाग ने इस मामले के समाधान के लिए अगस्त 2024 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) को एक पत्र लिखा था।

सिफारिश 2: विभाग समान इनवॉइस पर अनेक ई-वे बिलों के सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में सिस्टम नियंत्रण को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) के साथ मामला उठाने पर विचार करे।

1.9.6 जोखिमपूर्ण वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ई-वे बिल का सृजन

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (2) के अंतर्गत, जहां माल को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रेषक के रूप में, चाहे उसके स्वयं के वाहन में या किराए के वाहन में या सार्वजनिक वाहन में, सड़क मार्ग से परिवहन किया जाता है, उक्त व्यक्ति फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-बी में सूचना प्रस्तुत करने के बाद कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 में ई-वे बिल सृजित करेगा। सड़क मार्ग से परिवहन के लिए जहां माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाता है, वहां पंजीकृत व्यक्ति ट्रांसपोर्टर से संबंधित सूचना कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा और ट्रांसपोर्टर द्वारा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त पोर्टल पर प्रस्तुत सूचना के आधार पर फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-ए में ई-वे बिल जनरेट किया जाएगा। ई-वे बिल-01 के भाग-बी में वाहन संख्या प्रदान की जानी अपेक्षित है।

डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से नमूनों की जांच के दौरान, यह अवलोकित किया गया कि पांच⁹ उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले 11 करदाताओं से संबंधित 12 ई-वे बिल लेनदेन, जिनका निर्धारणीय मूल्य ₹ 2.78 करोड़ (*परिशिष्ट-1.8*) था, जोखिमपूर्ण

⁹ पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद (पश्चिम), गुरुग्राम (उत्तर) और गुरुग्राम (दक्षिण)।

वाहनों अर्थात् चोरी के वाहनों, स्कैप, अभ्यर्पण, निरस्त और निलंबित वाहनों, दुपहिया वाहनों आदि का उपयोग करके निष्पादित हुए थे। यह भी पाया गया कि संबंधित जावक आपूर्ति को वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 रिटर्न में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

विवरण निम्नलिखित तालिका 1.4 में दिया गया है:

तालिका 1.4

क्र. सं.	जोखिमपूर्ण वाहनों की प्रकृति	ई-वे बिलों की संख्या	करदाताओं की संख्या
1	दुपहिया वाहनों का उपयोग करके सृजित ई-वे बिल	2	2
2	ई-वे बिलों में चोरी हुए वाहनों का उल्लेख	2	1
3	ई-वे बिल में उल्लिखित निलंबित वाहन	2	2
4	ई-वे बिल में उल्लिखित स्कैप किए गए वाहन	1	1
5	ई-वे बिल में उल्लिखित सरेंडर किए गए वाहन	3	3
6	ई-वे बिल में उल्लिखित वाहन जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है	2	2
	योग	12	11

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि सभी 10 करदाताओं के संबंध में कारण बताओ नोटिस/दंडात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी गई थी।

सिफारिश 3: विभाग ई-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाने पर विचार करे।

1.9.7 वैधता अवधि समाप्त होने के आठ घंटे बाद ई-वे बिलों का विस्तार

28 जून 2019 की अधिसूचना के अनुसार, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (10) के अंतर्गत प्रावधान है कि जहां, ट्रांस-शिपमेंट सहित अपवादात्मक प्रकृति की परिस्थितियों में, माल का परिवहन ई-वे बिल की वैधता अवधि के अंदर नहीं किया जा सकता है, वहां ट्रांसपोर्टर, अपेक्षित होने पर, फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग बी में विवरण अद्यतन करने के बाद वैधता अवधि को विस्तारित कर सकता है। ई-वे बिल की वैधता, उसकी समाप्ति के आठ घंटे के भीतर विस्तारित की जा सकती है।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि सोनीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत सम्मिलित दो करदाताओं से संबंधित ₹ 3.91 लाख के कर योग्य मूल्य वाले दो ई-वे बिलों (**परिशिष्ट-1.9**) की वैधता अवधि, इनके समाप्त होने के आठ घंटे बाद विस्तारित की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि एक करदाता के संबंध में सम्मन जारी किया गया था और दूसरे करदाता से जानकारी मांगी गई थी, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

1.9.8 ई-वे बिल सृजन के चौबीस घंटे के बाद ई-वे बिल निरस्त करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (9) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, जहां इस नियम के अंतर्गत ई-वे बिल जनरेट किया गया है, लेकिन माल का परिवहन नहीं किया गया या ई-वे बिल में दिए गए विवरण के अनुसार परिवहन नहीं किया गया, वहां ई-वे बिल

जनरेट होने के चौबीस घंटे के अंदर कॉमन पोर्टल पर ई-वे बिल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरस्त किया जा सकता है।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोनीपत के अंतर्गत सम्मिलित एक करदाता से संबंधित ₹ 4.59 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले दो ई-वे बिलों (परिशिष्ट-1.10) को जनरेट होने के चौबीस घंटे के बाद निरस्त कर दिया गया था।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि यह एक प्रणालीगत कमी थी और विभाग ने इस मामले के समाधान के लिए अगस्त 2024 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वस्तु एवं सेवा कर संख्या को एक पत्र लिखा था।

1.9.9 ई-वे बिल के विवरण सूचित किए जाने के बहतर घंटे बाद ई-वे बिलों की अस्वीकृति

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138 (11 और 12) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, ई-वे बिल जनरेट होने पर उसका विवरण प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचित किया जाएगा। माल प्राप्तकर्ता को परिवहन किए जा रहे माल के संबंध में अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देना अपेक्षित है। यदि प्राप्तकर्ता, उसे विवरण दिए जाने के बहतर घंटे के अंदर या माल की डिलीवरी के समय, जो भी पहले हो, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना नहीं देता है, तो ई-वे बिल को स्वीकृत मान लिया जाएगा।

नमूना मामलों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि पानीपत और गुरुग्राम (उत्तर) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत आने वाले दो करदाताओं से संबंधित दो ई-वे बिलों (परिशिष्ट-1.11), जिनमें ₹ 12.51 लाख का कर योग्य मूल्य सम्मिलित था, को सृजन के बहतर घंटे के बाद अस्वीकृत कर दिया गया।

इन मामलों में, यह भी पाया गया कि निर्धारित समय-सीमा के बाद ई-वे बिलों के विस्तार/निरस्तीकरण/अस्वीकृति को रोकने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-ई-वे बिल पोर्टल में आवश्यक वैधता नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि पानीपत और गुरुग्राम (उत्तर) के करदाताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की गई थी।

सिफारिश 4: विभाग ई-वे बिल वैधता विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रणों को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करने पर विचार करे।

1.9.10 ई-वे बिल सृजित करना

(i) असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात वाले करदाता

नियम 138 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ पचास हजार से अधिक मूल्य के माल का संचलन करता है: (i) आपूर्ति के संबंध में; या (ii) आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य कारणों से; या (iii) किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण, ऐसे संचलन के आरंभ होने से पहले, कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त माल से संबंधित जानकारी फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-01 के भाग-ए में प्रस्तुत करेगा।

डेटा विश्लेषण के दौरान, सोनीपत, पानीपत और गुरुग्राम (दक्षिण) उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों (परिशिष्ट-1.12) के अंतर्गत आने वाले चार करदाताओं के मामले में असंगत आवक-जावक आपूर्ति अनुपात पाया गया। अतिरिक्त अभिलेख के अभाव और ई-वे बिल पोर्टल तक एक्सेस का प्रावधान न होने के कारण, कर प्रभाव को इंगित करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि एक मामले में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पानीपत द्वारा मांग और वसूली प्रमाण पत्र-01 ए जारी किया गया था।

(ii) केवल जावक आपूर्ति ई-वे बिल वाले करदाता

डेटा के विश्लेषण के दौरान, 10 करदाताओं (परिशिष्ट-1.13) के मामले में यह पाया गया कि करदाताओं के पास केवल जावक आपूर्ति वाले ई-वे बिल थे। अतिरिक्त अभिलेख के अभाव और ई-वे बिल पोर्टल तक एक्सेस का प्रावधान न होने के कारण, कर प्रभाव स्थापित करने में लेखापरीक्षा असमर्थ रही।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और दिसंबर 2024 में बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, यह पाया गया कि एक करदाता ने अपने पंजीकरण की वैधता अवधि, अर्थात् 6 जनवरी 2020 से 16 फरवरी 2020 तक, बिना कोई कर चुकाए और बिना कोई वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल किए, ₹ 33.43 करोड़ के कर योग्य मूल्य के 123 ई-वे बिल जनरेट किए थे। विभाग ने आगे बताया कि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) ने अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत उस करदाता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी थी (दिसंबर 2024)।

(iii) जोखिमपूर्ण गतिविधियों के लिए ई-वे बिल सृजित करना

चयनित नमूनों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 12 करदाताओं द्वारा ₹ 36.30 करोड़ के कर योग्य मूल्य वाले 50 ई-वे बिल (68 मामले) जनरेट किए गए थे, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते थे:

1. पंजीकरण के छः माह के भीतर बनाए गए उच्च मूल्य वाले ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.14 क)।
2. पिन कोड से पिन कोड तक अत्यधिक दूरी वाले ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.14 ख)।
3. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (एम.सी.ए.) के डिफॉल्टरों से संबंधित ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.14 ग)।
4. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) की ब्लैक लिस्ट में डाली गई संस्थाओं के ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.14 घ)।
5. विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी.जी.ए.आर.एम.) द्वारा अपराधों के लिए बुक किए गए पक्ष (परिशिष्ट-1.14 ड.)।
6. अमान्य पिन-कोड का उपयोग करके जनरेट किए गए ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.14 च)।

तथापि, बीओवेब पोर्टल तक सीमित एक्सेस और ई-वे बिल पोर्टल का प्रावधान न होने के कारण ई-वे बिल का आगे विश्लेषण नहीं किया जा सका। इसके बाद विभाग से वांछित जानकारी मांगी गई, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम (उत्तर) ने दिसंबर 2024 में बताया कि अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत एक करदाता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(iv) उन करदाताओं द्वारा सृजित ई-वे बिल जिनके पंजीकरण बाद में निरस्त कर दिए गए थे

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, जहां कोई कर योग्य व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है किंतु जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, वहां संबंधित अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे कर योग्य व्यक्ति की कर देयता का निर्धारण कर सकेगा। निरस्त किया गया करदाता ई-वे बिल का सृजन नहीं कर सकता है, क्योंकि वह रिटर्न प्रस्तुत किए बिना ही इनपुट टैक्स क्रेडिट पारित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान नहीं होगा।

चयनित नमूनों की नमूना-जांच के दौरान पाया गया कि तीन करदाताओं से संबंधित ₹ 92.05 लाख के कर योग्य मूल्य वाले छः ई-वे बिल (परिशिष्ट-1.15) सृजित किए गए थे और बाद में उन करदाताओं के पंजीकरण निरस्त कर दिए गए। यह भी पाया गया कि चूककर्ताओं के विरुद्ध न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और न ही कर देयता का कोई निर्धारण किया गया।

बीओवेब और ई-वे बिल पोर्टल पर सीमित एक्सेस के कारण, उपर्युक्त किसी भी मामले में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में ई-वे बिल चालानों के समावेशन की पुष्टि लेखापरीक्षा द्वारा नहीं की जा सकी। संपूर्ण वर्ष के लिए केवल जावक आपूर्ति से सृजित ई-वे बिल की कुल संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सका तथा चयनित नमूनों का आगे विश्लेषण नहीं किया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि इन करदाताओं का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया था तथा उन्हें ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था।

1.10 ई-वे बिलों के डेटा के विश्लेषण में पाई गई अभ्युक्तियां (समग्र अभ्युक्तियां)

ई-वे बिल से संबंधित डेटाबेस से जोखिम आधारित नमूनों का चयन किया गया तथा हरियाणा के क्षेत्राधिकार में आने वाले कुल 43,276 करदाताओं (438 कंपोजिशन करदाताओं सहित) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा ने मुख्य समस्या क्षेत्रों के आधार पर अप्रैल 2018 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान जनरेट किए गए ई-वे बिलों के डेटा का विश्लेषण किया और पाया कि करदाताओं द्वारा कर अनुपालन में विसंगतियों का पता कुछ मुख्य समस्या क्षेत्रों से सीधे लगाया जा सकता है। इन मुख्य समस्या क्षेत्रों के अंतर्गत निकाले गए डेटा को आगे की सुधारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए समग्र अभ्युक्तियों के रूप में विभाग के पास भेज दिया गया और की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त रिपोर्ट मांगी गई। विभाग के साथ साझा की गई समग्र अभ्युक्तियों का विवरण निम्नलिखित **तालिका 1.5** में दिया गया है।

तालिका 1.5: हरियाणा के क्षेत्राधिकार में सृजित ई-वे बिलों पर समय अभ्युक्तियां

क्र. सं.	समय अभ्युक्तियों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	सम्मिलित निर्धारणीय मूल्य (₹ करोड़ में)	विभाग की प्रतिक्रिया
1	कंपोजिशन करदाताओं द्वारा अंतरराज्यीय ई-वे बिल जनरेट करना	89	2.17	प्रतिक्रिया अभी प्राप्त नहीं हुई है
2	निर्धारित सीमा पार कर चुके कंपोजिशन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	04	6.50	
3	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल न करने वालों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	2,289	1,180.17	
4	पंजीकरण निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	1,988	2,302.29	
5	एक ही इनवॉइस का उपयोग करके डुप्लिकेट ई-वे बिल जनरेट करना	23,408	1,186.98	
6	वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न फाइल करने वालों द्वारा ई-वे बिल जनरेट करना	15,265	4,877.84	

उपर्युक्त विवरण विभाग को जुलाई 2023 में तथा सरकार को दिसंबर 2024 में भेज दिया गया था; उत्तर प्रतीक्षित हैं (मई 2025)।

उत्तर प्राप्त न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने में असमर्थ है कि क्या विभाग ने डेटा विश्लेषण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए उदाहरणों का संज्ञान लिया है और क्या करदाताओं को रोकने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

1.11 क्रॉस पैन विश्लेषण

(क) करदाताओं द्वारा कर देयता का निर्वहन न होना/कम निर्वहन होना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 37 के अंतर्गत, कंपोजिशन करदाताओं के अतिरिक्त प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को कर अवधि के दौरान की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की जावक आपूर्ति का विवरण वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 में प्रस्तुत करना होगा और उस पर कर देयता का भुगतान वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-3बी में करना होगा। जिन करदाताओं ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना है, उन्हें वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-4/वस्तु एवं सेवा कर-कंपोजिशन लेवी स्टेटमेंट-कम-इनवॉइस-08 में कर का भुगतान करना होगा। धारा 31 में प्रावधान है कि कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति, माल का विवरण, मात्रा और मूल्य, उस पर लगाया गया कर और ऐसे अन्य विवरण, जो निर्धारित किए जाएं, दर्शाते हुए एक कर इनवॉइस जारी करेगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 के नियम 138 में प्रावधान है कि ई-वे बिल जनरेट करने के लिए, माल की आवाजाही करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को उक्त माल से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी।

अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 17 मामलों की पहचान की जहां करदाताओं ने विभिन्न क्षेत्राधिकारों में समान पैन वाले करदाताओं को माल की आपूर्ति करने के लिए ई-वे बिल जनरेट किए थे, इनमें से 5 करदाताओं (प्रेषकों) का क्षेत्राधिकार हरियाणा में था और 12 हरियाणा के बाहर के क्षेत्राधिकारों से संबंधित थे (परिशिष्ट-1.16-क और परिशिष्ट-1.16-ख)। इन क्रॉस पैन लेनदेन का निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 197.69 करोड़ (₹ 175.97 करोड़ + ₹ 21.72 करोड़) था।

चूंकि 12 प्रेषक हरियाणा के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे, इसलिए लेखापरीक्षा उनके रिटर्न की आगे जांच नहीं कर सकी। हरियाणा के पांच मामलों में से, एक मामले में यह पाया गया कि करदाता ने पंजाब में पंजीकृत एक करदाता को ₹ 168.59 करोड़ की आपूर्ति दर्शाते हुए ई-वे बिल जनरेट किए थे, लेकिन उसका पैन नंबर भी वही था। प्रेषक का वस्तु एवं सेवा कर

रिटर्न-1 उपलब्ध न होने के कारण, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि करदाता ने अपनी जावक आपूर्ति में आपूर्ति दर्शाई है या नहीं। हालांकि, करदाता ने ₹ 7.29 करोड़ के कर योग्य मूल्य पर कर का भुगतान किया है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि इन करदाताओं का विवरण संबंधित उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ साझा किया गया था तथा उन्हें ऐसे करदाताओं पर उचित कार्रवाई करने और इस संबंध में कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया था।

1.12 करदाताओं के ई-वे बिल अनब्लॉक करने के अनुरोधों पर की गई कार्रवाई

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 138ई के अनुसार आयुक्त को पंजीकृत व्यक्ति से फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में आवेदन प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने तथा कारणों को लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर, वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 में आदेश द्वारा, वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-01 के भाग ए में उक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति देनी होगी।

लेखापरीक्षा ने उन करदाताओं का विवरण मांगा (अप्रैल 2023), जिन्होंने वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में ई-वे बिल सुविधा के सृजन को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन किया था, और वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 में अनुरोधों की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में उचित अधिकारियों द्वारा जारी आदेशों का विवरण भी मांगा। विभाग ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए कोई जानकारी प्रदान नहीं की और बताया कि 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 84 और 17 करदाताओं ने फॉर्म वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-05 में ई-वे बिल को अनब्लॉक करने के लिए आवेदन किया था। यह देखा गया कि इन आवेदनों के विरुद्ध 2020-21 के केवल एक मामले में ही संबंधित अधिकारी ने वस्तु एवं सेवा कर-ई-वे बिल-06 के अंतर्गत आदेश जारी किए थे।

नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि ई-वे बिल ब्लॉक करना वार्ड अधिकारी अर्थात् करदाता के विश्लेषण के बाद वार्ड के संबंधित अधिकारी से संबंधित था और इसका प्रवर्तन कार्य से कोई संबंध नहीं है।

उत्तर में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है कि ई-वे बिलों को अनब्लॉक करने के 101 अनुरोधों में से, अधिकारी ने केवल एक करदाता के लिए ई-वे बिल सुविधा को अनब्लॉक किया है। अन्य सभी आवेदन अभी भी लंबित हैं।

1.13 विभाग का प्रवर्तन कार्य

1.13.1 क्या ई-वे बिल प्रावधानों को लागू करने में विभाग की प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं

राज्य में 27 राजस्व जिले हैं और प्रत्येक राजस्व जिले में एक समर्पित प्रवर्तन इकाई है, जो उस जिले के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के नियंत्रण में माल की आवाजाही की सड़क किनारे जांच करती है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अंतर्गत भी यही प्रवर्तन व्यवस्था थी, जिसे अब वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत अपनाया गया है। इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दूसरे उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों के ई-वे बिल से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया, जिसमें (i) परिचालन संबंधी तैयारी, (ii) अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और (iii) ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर-विभागीय

समन्वय पर विशेष ध्यान दिया गया। इस प्रयोजन के लिए लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा सत्यापित ई-वे बिलों की औसत संख्या के आधार पर 27 प्रवर्तन इकाइयों में से 14 इकाइयों का चयन किया। लेखापरीक्षा ने इकाइयों द्वारा की गई गतिविधियों में कई कमियां और खामियां पाई गई, जिनका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है:

1.14 विभाग की परिचालन संबंधी तैयारी

1.14.1 पर्याप्त कार्यबल की कमी

राजस्व जिले में उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अधीन कार्यरत सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी सड़क किनारे माल की आवाजाही की जांच के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी होते हैं। सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (प्रवर्तन) की टीम में कराधान निरीक्षक, चपरासी और वाहन चालक शामिल होते हैं जिन्हें जिला स्तर पर उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अधीन कार्यरत सामान्य पूल से लिया जाता है। यह देखा गया कि सभी वर्षों में सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की समग्र रिक्तियां थी जो 2020-21 में अधिकतम 58 प्रतिशत थी, जैसा कि **तालिका 1.6** में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी (प्रवर्तन) में कार्यबल की स्थिति

वर्ष	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की संस्वीकृत संख्या	सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारियों की कार्यशील स्थिति	रिक्ति की प्रतिशतता
2018-19	65	38	42
2019-20	65	44	32
2020-21	65	27	58
2021-22	65	51	22

स्रोत: आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

पदों की अधिक रिक्ति के कारण, ई-वे बिलों के सत्यापन के लिए कार्यकारी इकाइयों से मानव संसाधनों को हटाया जा रहा है। समर्पित व्यवस्था होने के बाद भी, कर्मचारियों की संख्या में रिक्तियों की उच्च दर का ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन कार्यों पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया (दिसंबर 2024) कि विभाग ने आबकारी एवं कराधान अधिकारी-सह-वार्ड प्रभारी को पुनः क्रियान्वित करके सड़क किनारे जांच के आधार को व्यापक बनाने का प्रयास किया है, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत कार्यभार सौंपा जा सकता है।

1.15 अपवंचन निवारक उपायों की प्रभावशीलता

1.15.1 दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण कार्यक्षेत्र की सीमा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम¹⁰, 1971 की धारा 16 में प्राप्ति की लेखापरीक्षा के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य,

¹⁰ नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18(2)¹¹ कार्यालयों/विभागों का यह वैधानिक दायित्व निर्धारित करती है कि वे सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप से और यथाशीघ्र अनुपालन करें।

लेखापरीक्षा के दौरान, ई-वे बिल के संदर्भ में प्रवर्तन गतिविधियों से संबंधित जानकारी और अभिलेख मांगे गए थे। इकाइयों ने दर्ज किए गए 176 नमूना मामलों में से 47 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए (**परिशिष्ट-1.17**)। लेखापरीक्षा चयनित नमूना मामलों को प्रमाणित नहीं कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप केवल प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार किए गए निर्धारण और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर ही निर्भर रहना पड़ा क्योंकि निर्धारण का कोई दस्तावेजी प्रमाण जैसे वीडियोग्राफी या भौतिक सत्यापन का फोटोग्राफी प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

क्षेत्राधिकार-वार अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने का सारांश **तालिका 1.7** में दिया गया है:

तालिका 1.7: फील्ड लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा रिपोर्ट किए गए अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

प्रवर्तन इकाई	नमूना	प्रस्तुत न किया जाना
	दर्ज मामलों की संख्या ¹²	दर्ज मामलों की संख्या
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (पश्चिम)	20	3
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (उत्तर)	20	6
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पानीपत	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, झज्जर	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, पंचकुला	10	3
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जगाधरी	10	2
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फरीदाबाद (दक्षिण)	20	20
सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी, फतेहाबाद	9	9
योग	109	47

इसके अतिरिक्त, 14 चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, सड़क किनारे चेकिंग के कारण प्राप्त कर एवं पेनल्टी की राशि वस्तु एवं सेवा कर संख्या पोर्टल पर अपलोड की गई राशि से अधिक थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर पर लेखापरीक्षा ने समेकित आंकड़े एकत्र किए और अंतर **तालिका 1.8** में दिए गए हैं:

तालिका 1.8: वस्तु एवं सेवा कर संख्या (जी.एस.टी.एन.) पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख और आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेख के अनुसार एकत्रित कर एवं पेनल्टी के मध्य अंतर

(₹ करोड़ में)				
वर्ष	ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया जी.एस.टी.-ई.डब्ल्यू.बी-03 भाग बी के अनुसार कर एवं पेनल्टी	ई.टी.सी. कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया वास्तव में एकत्रित कर एवं पेनल्टी	अंतर	जी.एस.टी.एन. में दर्शाई गई कम प्रतिशतता
2018-19	32.97	114.75	81.78	248.04
2019-20	23.04	84.20	61.16	265.45
2020-21	16.11	80.68	64.57	400.81
2021-22	37.83	135.68	97.85	258.65

स्रोत: आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी

¹¹ धारा 18(2): किसी कार्यालय या विभाग का प्रभारी व्यक्ति, जिसके लेखों का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निरीक्षण और लेखापरीक्षा की जानी है, ऐसे निरीक्षण के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा और सूचना के अनुरोधों का यथासंभव पूर्ण रूप में और सभी उचित शीघ्रता के साथ अनुपालन करेगा।

¹² लीड ऑफिस द्वारा दर्ज मामलों की व्याख्या की जाए।

जैसा कि उपर्युक्त डेटा से स्पष्ट है कि प्रवर्तन अधिकारी सड़क किनारे कर संग्रह से संबंधित संपूर्ण डेटा वस्तु एवं सेवा कर संख्या पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहे हैं। संपूर्ण डेटा (ई-वे बिल-3) के अपूर्ण अपलोड के कारण, लेखापरीक्षा का दायरा वास्तविक मामलों और दर्ज की गई राशि के बजाय पोर्टल पर अपलोड की गई राशि/बिलों तक सीमित हो गया।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि अधिकांश फाइलें अब उपलब्ध हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा और शेष लंबित अभिलेखों का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे।

तथापि, विभाग के उत्तर में पोर्टल पर कर एवं पेनल्टी संग्रह अभिलेख की अपूर्ण अपलोडिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया था।

1.15.2 वाहनों के अवरोधन के लिए दिशानिर्देश

आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने तीन परिपत्रों¹³ के माध्यम से, आवागमन में माल के निरीक्षण के लिए वाहनों के अवरोधन तथा ऐसे माल और वाहनों को रोकने, छोड़ने और जब्त करने की प्रक्रिया पर दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन की सीमा का पता लगाने का प्रयास किया। इसके लिए, 14 प्रवर्तन इकाइयों से संबंधित 176 दर्ज मामलों में से 129 मामलों का सत्यापन किया गया और 47 मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इन 129 मामलों को जांच के लिए चुना गया और पाए गए विचलनों का विवरण **तालिका 1.9** में दिया गया है:

तालिका 1.9: चयनित 129 मामलों में पाए गए विचलनों का विवरण

पाए गए विचलनों का विवरण	दर्ज मामलों की कुल संख्या	सत्यापित दर्ज मामलों की संख्या (नमूना लिए गए 176 मामलों में से)	दर्ज मामलों की संख्या जिनमें कमी पाई गई
जब वाहन का अवरोधन किया गया था और ई-वे बिल से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, तो वाहन के प्रभारी व्यक्ति का बयान वस्तु एवं सेवा कर-एम.ओ.वी.-1 में दर्ज नहीं किया गया है	7,109	129	3 (परिशिष्ट-1.18-क)
वस्तु एवं सेवा कर - एम.ओ.वी.-2 में वाहन के भौतिक निरीक्षण का आदेश जारी नहीं किया गया था	7,109	129	3 (परिशिष्ट-1.18-क)
वस्तु एवं सेवा कर एम.ओ.वी.-4 में निरीक्षण रिपोर्ट वाहन के प्रभारी व्यक्ति को नहीं दी गई है	7,109	129	3 (परिशिष्ट-1.18-क)
वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-03 (भाग-बी) में अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट लंबित थी	7,109	129	शून्य
जब्त किए गए वाहनों को लंबे समय तक रोके रखने के विरुद्ध अपील वस्तु एवं सेवा कर ई-वे बिल-04 में प्राप्त हुई थी	7,109	129	शून्य
वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-11 में नोटिस जारी कर माल जब्त करने की कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जब वस्तु एवं सेवा कर- एम.ओ.वी.-07 में मांगी गई राशि का भुगतान सात दिन के भीतर नहीं किया गया	7,109	129	16 (परिशिष्ट-1.18-ख)

¹³ परिपत्र संख्या 500-02/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 12.10.2018, 1761-62/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 4.6.2018 और 506-08/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक: 12.10.2018.

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और निम्नलिखित से अवगत कराया (नवंबर 2024): (i) एम.ओ.वी.-01 जारी करने के लिए निर्धारित समय कम था और वाहन प्रभारी की विस्तृत स्थिति दर्ज करने में समय लग रहा था। (ii) सभी उचित अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए थे। (iii) निरीक्षण रिपोर्ट एम.ओ.वी.-04 साझा किए बिना, पेनल्टी की राशि का भुगतान करने वाले संबंधित व्यक्ति द्वारा पेनल्टी जमा नहीं की जा सकती है। (iv) प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया था।

तथापि, विभाग का उत्तर इस तथ्य पर मौन है कि तीन मामलों में एम.ओ.वी.-4 जारी नहीं किया गया था, लेकिन कर एवं पेनल्टी अभी भी एकत्र की गई थी।

1.15.3 ई-वे बिल सत्यापन के दौरान एकत्रित कर एवं पेनल्टी के लिए मांग न उठाना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 (1) के अनुसार, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रावधानों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी माल का परिवहन करता है, वहां ऐसे सभी माल और उक्त माल को ले जाने के लिए परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए गए वाहन तथा ऐसे माल और वाहन से संबंधित दस्तावेज अवरोध या जब्ती के लिए पात्र होंगे और अवरोध या जब्ती के पश्चात् उन्हें छोड़ दिया जाएगा, - (क) ऐसे माल¹⁴ पर देय कर के शत-प्रतिशत के बराबर लागू कर एवं पेनल्टी के भुगतान पर और छूट प्राप्त माल के मामले में, माल के मूल्य के दो प्रतिशत के बराबर राशि या ₹ पच्चीस हजार, जो भी कम हो, के भुगतान पर जहां माल का मालिक ऐसे कर एवं पेनल्टी के भुगतान के लिए आगे आता है।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त¹⁵ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर एम.ओ.वी.-09¹⁶ प्रपत्र में आदेश को कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा तथा कार्यवाही से प्रोद्भूत मांग को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने तीन इकाइयों¹⁷ से संबंधित 12 दर्ज मामलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई, जिनका विवरण नीचे **तालिका 1.10** में दिया गया है:

तालिका 1.10: दर्ज किए गए 12 मामलों में पाई गई विसंगतियों का विवरण

पाई गई विसंगतियों का विवरण	मामलों की संख्या	शामिल राशि		
		कर	पेनल्टी	योग
		(₹ लाख में)		
अवरोधन के दौरान रोके गए वाहनों को कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान सुनिश्चित किए बिना और मांग उठाए बिना छोड़ दिया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर एवं पेनल्टी जमा किया गया लेकिन मांग और वसूली प्रमाणपत्र-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पी.एम.टी.-05) में डेबिट नहीं किया गया	8 (परिशिष्ट-1.19-क)	6.09	6.95	13.04
कर या पेनल्टी या दोनों का भुगतान करने पर वाहनों को बिना मांग उठाए छोड़ देना	4 (परिशिष्ट-1.19-ख)	8.36	8.96	17.32

¹⁴ दिनांक 1 जनवरी 2022 से पेनल्टी राशि देय कर के दो सौ प्रतिशत तक बढ़ा दी गई।

¹⁵ परिपत्र 1761-62/वस्तु एवं सेवा कर-2 दिनांक 4 जून 2018 का पैरा 2(एच)।

¹⁶ कर एवं पेनल्टी की मांग का आदेश।

¹⁷ फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (उत्तर) और पानीपत।

यह देखा गया कि जिन आठ मामलों में कर एवं पेनल्टी जमा की गई थी, लेकिन मांग और वसूली प्रमाणपत्र-03 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (पी.एम.टी.-05) में डेबिट नहीं की गई थी, उनमें से सात मामले 2018-19 और 2019-20 से संबंधित थे और केवल एक मामला 2021-22 से संबंधित है। इससे पता चलता है कि अधिकांश विसंगतियां ई-वे बिल प्रणाली की शुरुआत के प्रारंभिक वर्षों के दौरान हुई।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि एक मामले में ₹ 16,600 के ब्याज सहित ₹ 41,600 की पेनल्टी वसूल की जा चुकी है और फरीदाबाद (उत्तर) से संबंधित राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

1.16 ई-वे बिल से संबंधित लेनदेन की निगरानी में अंतर्विभागीय समन्वय

ई-वे बिल सीधे तौर पर माल की आवाजाही से जुड़ा हुआ है और प्रवर्तन इकाइयों को ई-वे बिल से संबंधित प्रवर्तन दायित्व सौंपे गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है और प्रत्येक जिले की प्रवर्तन इकाइयों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र पोर्टल के माध्यम से उन रिपोर्टों तक पहुंच उपलब्ध है।

जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने प्रवर्तन इकाइयों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग की प्रभावशीलता और विभाग में अंतर्विभागीय समन्वय की स्थिति का आकलन करने का प्रयास किया। वाहनों के अवरोधन से संबंधित फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि कोई अंतर्विभागीय समन्वय नहीं था क्योंकि ऐसा कोई पत्राचार अभिलेख नहीं था जिससे पता चले कि अवरोधन से संबंधित कोई सूचना संबंधित प्राधिकारी को भेजी गई है।

1.16.1 अवरुद्ध क्रेडिट पर जानकारी पारित करना

हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के अनुसार, वाहनों की जांच के दौरान यदि कोई विसंगति पाई गई तो 31 दिसंबर 2021 तक कर एवं पेनल्टी उद्घाट्य होगी। हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(5) के अनुसार, धारा 129 के प्रावधानों के अंतर्गत भुगतान किए गए किसी भी कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार, जब भी धारा 129 के अंतर्गत कोई कर संगृहीत किया जाता है, तो प्राप्तकर्ताओं और संबंधित अधिकारी को अलर्ट संदेश भेजने के लिए वस्तु एवं सेवा कर संख्या में तंत्र होना चाहिए। हालांकि, यह देखा गया कि ₹ 1.57 करोड़ (परिशिष्ट-1.20-क और 1.20-ख) के कर से जुड़े 85 मामलों में {20 मामले (कर राशि ₹ 21.87 लाख) हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित थे और 65 मामले (कर राशि ₹ 1.35 करोड़)} हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार के अलावा अन्य से संबंधित थे, वस्तु एवं सेवा कर डेटा तक सीमित पहुंच के कारण लेखापरीक्षा यह प्रमाणित नहीं कर सकी कि प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया गया था या नहीं। तथापि, यह समझा गया कि वस्तु एवं सेवा कर संख्या में न तो प्राप्तकर्ताओं और संबंधित सक्षम अधिकारी को अलर्ट भेजने की कोई तंत्र है और न ही विभाग ने धारा 17(5) के अंतर्गत अवरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के संबंध में संबंधित सक्षम अधिकारी को कोई सूचना भेजी।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और जनवरी 2025 में बताया कि 20 मामलों के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी और हरियाणा राज्य क्षेत्राधिकार के अलावा 65 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.16.2 अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा माल की आवाजाही की निगरानी

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र "नागरिकों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिल" (एच5 रिपोर्ट) नामक एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए ई-वे बिलों का विवरण दिया जाता है। यह सत्यापित करने के लिए कि क्या इन रिपोर्टों का उपयोग आबकारी एवं कराधान विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा कर का दायरा बढ़ाने के लिए किया गया था, लेखापरीक्षा ने चयनित 13 प्रवर्तन इकाइयों द्वारा ऐसी रिपोर्टों के उपयोग की जांच की।

आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ₹ 3,693.16 करोड़ मूल्य के 163 ई-वे बिल जावक आपूर्ति के लिए अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा जनरेट किए गए थे। ई-वे बिलों में दर्शाई गई आपूर्ति का मूल्य पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा, अर्थात् हरियाणा के मामले में ₹ 40 लाख, से अधिक था। इसे जांच और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विभाग के साथ साझा किया गया था। हालांकि, इस मामले में उत्तर प्रतीक्षित थे।

1.17 सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) रिपोर्ट का उपयोग न करना

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ई-वे बिल लेनदेन पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करता है जैसे (i) वाहनों की गैर-आवाजाही रिपोर्ट (बी-1 रिपोर्ट); (ii) एक ही वाहन की कई बार आवाजाही (बी4 रिपोर्ट); (iii) अन्य वाहनों की कई बार आवाजाही (बी5 रिपोर्ट) और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर विभागों के साथ साझा करता है। यह पता लगाने के लिए कि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई-वे बिल के सत्यापन की योजना बनाने के लिए इन रिपोर्टों का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है, यह देखा गया कि

- (i) प्रवर्तन इकाइयों को एकसमान पहुंच प्रदान नहीं की गई थी।
- (ii) विभाग किसी भी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर रहा है।
- (iii) कोई भी प्रवर्तन इकाई ई-वे बिल पर आधारित विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डी.जी.ए.आर.एम.) या किसी अन्य समान एजेंसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अलावा) से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं कर रही थी।

प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के उपयोग के अभाव में, वाहन अवरोधन की योजना बनाने के पीछे के तर्कसंगत आधार का पता नहीं लगाया जा सका।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), नवंबर 2024 में आयोजित एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से हरियाणा राज्य कैडर के लिए उनके द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुंच का दायरा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

सिफारिश 5: विभाग प्रवर्तन कार्यप्रवाह में विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग उपकरणों को एकीकृत करके, संसाधन आवंटन में सुधार, सक्रिय विसंगति पहचान और अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा परिचालन दक्षता बढ़ाने पर विचार कर सकता है।

1.18 निष्कर्ष

हरियाणा राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली की विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, सरकार के राजस्व हितों की रक्षा में ई-वे बिल तंत्र की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 32 करदाताओं से संबंधित 80 ई-वे बिलों का एक नमूना चुना गया था। लेखापरीक्षा में ई-वे बिल प्रणाली की प्रभावशीलता में अनेक कमियां पाई गईं।

यह देखा गया कि ई-वे बिल प्रणाली, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा माल की अंतरराज्यीय और अंतःराज्यीय आवाजाही में अंतर करने में असमर्थ थी और दोनों ही मामलों में ई-वे बिल के सृजन की अनुमति दी गई। ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां ई-वे बिल जनरेट किए गए, लेकिन करदाताओं ने संबंधित रिटर्न अवधि के लिए 'शून्य' वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न-1 फाइल की और अपनी कर देयता का भुगतान नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि ई-वे बिल उन करदाताओं द्वारा जनरेट किए गए थे जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे और जिनका पंजीकरण कर देयता का निपटान किए बिना ही निरस्त कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-वे बिल पोर्टल एक ही इनवॉइस पर कई ई-वे बिल जनरेट करने की अनुमति देता है। ऐसे मामले भी थे जहां यह देखा गया कि चोरी, स्क्रेप, सरेंडर, निरस्त और निलंबित किए गए वाहनों आदि के उपयोग से माल की आवाजाही प्रभावित हुई।

प्रवर्तन गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं के मूल्यांकन के दौरान, परिचालन संबंधी तैयारी, कर अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता; तथा अंतर-विभागीय और अंतः-विभागीय समन्वय में कमियां पाई गईं।

प्रवर्तन इकाइयां वाहन के अवरोधन की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग नहीं कर रही थी।

प्रणाली में देयता को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था और वाहनों को रोकड़ बही में दर्शाए गए क्रेडिट के आधार पर जारी किया गया था, लेकिन देयता का सृजन और समायोजन नहीं किया गया था।

1.19 सिफारिशें

विभाग निम्नलिखित पर विचार करे:

- 1 पंजीकरण निरस्त करने से पहले करदाता द्वारा सृजित ई-वे बिल पर पूर्वव्यापी रूप से विचार करने और जहां भी लागू हो, कर की वसूली के लिए कार्रवाई करने के लिए उचित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करे।
- 2 एक ही इनवॉइस पर कई ई-वे बिलों के सृजन को रोकने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाना।

- 3 ई-वे बिल के सृजन और माल के परिवहन के लिए जोखिमपूर्ण वाहनों के उपयोग को रोकने के लिए ई-वे बिल प्रणाली में उपयुक्त सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामला उठाना।
- 4 ई-वे बिल वैधता विस्तार, निरस्तीकरण और अस्वीकृति के लिए समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ई-वे बिल पोर्टल में प्रणाली नियंत्रण को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- 5 विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग उपकरणों को प्रवर्तन कार्यप्रवाह में एकीकृत करके, संसाधन आबंटन में सुधार करके, सक्रिय विसंगति पहचान और अंतर्विभागीय समन्वय द्वारा परिचालन दक्षता बढ़ाना।